फा.सं. 17/1/2019- गो.-1/1

कर्मचारी चयन आयोग

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2019 - दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु पेपर- II के परिणाम की घोषणा ।

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2019 (पेपर-I) का आयोजन दिनांक 26.11.2019 को किया गया था। पेपर-I के परिणाम की घोषणा दिनांक 29.01.2020 को की गई थी जिसमे 1977 अभ्यर्थियों को पेपर-II में बैठने के लिए अर्हक घोषित किया गया था। इस परीक्षा का पेपर- II दिनांक 16.02.2020 को देश भर के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित किया गया था।

2. आयोग द्वारा तय किए गए कट-ऑफ के आधार पर, निम्नलिखित विवरण के अनुसार कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यपक के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु 1360 अभ्यर्थियों ने अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त की है:

	अ.जा.	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व.**	**ई डब्ल्यू एस**	**अना.**	**अ.दि.**	**श्र.दि.**	**दृ.दि.**	**अन्य दि.**	**कुल**
कट-ऑफ अंक	151.50	150.00	208.00	207.50	245.50	204.75	86.50	165.50	86.5	-
उपलब्ध अभ्यर्थी	207	111	325	119	544	18	20	11	5	1360

टिप्पणी 1: ऊपर दर्शाए गए अना. अभ्यर्थियों की संख्या में अना. मानक पर 74-अ.जा., 14-अ.ज.जा., 208–अ.पि.व., 70-ई.डब्ल्यू.एस.,3-अ.दि. और 1- श्र.दि. अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी शामिल है। इन अभ्यर्थियों को उनके संबंधित श्रेणियों में नहीं दर्शाया गया हैं।

टिप्पणी 2: क्षैतिज श्रेणी के अभ्यर्थियों (अर्थात अ.दि., श्र.दि., दृ.दि. एवं अन्य दि.) को उनके संबंधित ऊर्ध्वाकार श्रेणी (अर्थात अजा., अजजा., अपिव., अना. एवं ईडब्ल्यूएस.) में शामिल नहीं किया गया हैं।

टिप्पणी 3:परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा 16 (ग) के अनुसार: पेपर-II में निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक प्राप्तांक लागू किया गया हैं:

i. अना:30%

ii. अपिव/ईडब्ल्यूएस.:25%

iii. अन्य:20%

3. परिणाम में दर्शाए गए सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। जो अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन में उपस्थित नहीं होंगे, अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। **दस्तावेज सत्यापन की समय-सारणीसंबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के वेबसाइटों पर अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी।**

4. उपर्युक्त सूचियां विशुद्ध रूप से अनंतिम और संस्तुत अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा विज्ञप्ति में संबंधित पदों के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन हैं, और साथ ही, आवेदन-पत्रों, प्रवेश-पत्रों आदि पर उनके फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, हस्तलेख आदि के संबंध में उनकी पहचान को पूर्ण रूप से सत्यापन करने के भी अध्यधीन हैं। यदि, सत्यापन करने के दौरान यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो अंतिम परिणाम के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. अर्हता प्राप्त और गैर-अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे।

अवर सचिव (गो -1/1)

16.06.2020